

31-10-19


पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बाहेष्कार को
से पत्रावली दिनांक को पेश हो ^{पुस्तक} आदेश यथावत रहेगा ^{पुस्तक}
28.11.19

28.11.19

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थिया उपस्थित
विपक्षीय अनुपस्थित। वकील प्रार्थिया ने प्रा-पत्र
212 R-TA पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थिया
की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस
में बताया कि प्रार्थिया को अस्वार्थ विवेधाना मदी
मिली तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थिया
के अधिवक्ता की बहस पर ममन किया जाकर
प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R-TA के तहत
मूल वाद पत्र के विस्तारण तक अस्थायी विवेधाना
जारी की जाती है।

पत्रावली फाईल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ
सलम हो


उपखण्ड अधिकारी
मंडल जिला मीलवाड़ा

